सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

मंत्री के सचिवालय
झारखण्ड
12/03/2018
तिथि......................
संख्या.....................

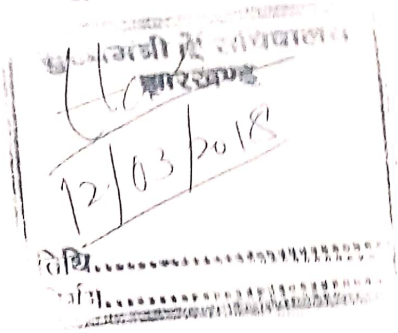

पत्रांक- आ.का./४६/18
दिनांक- 11-03-18

माननीय मुख्यमंत्री,

सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही धान खरीद की समीक्षा करने के लिये मैं दिनांक 12 से 16 मार्च 2018 तक संथाल परगना प्रमंडल के भ्रमण पर हूँ. इस बीच मंगलवार, दिनांक 13.03.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह सकूँगा. इसलिये एक लिखित निवेदन आपके और मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज रहा हूँ जो निम्नवत है. इसमें उद्धृत तथ्य प्रमाण पर आधारित हैं. जनहित, राज्यहित और सरकार हित में विचारोपरांत अधोहस्ताक्षरी का यह तथ्य आधारित निवेदन मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रार्थना है.

—:निवेदनः—

विगत 6 मार्च 2018 की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में "मुख्यमंत्री सचिवालय से संबद्ध जनसम्पर्क विभाग की टीम" ने समाचार माध्यमों मे प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है. इस विज्ञप्ति के अंत में अन्यान्य शीर्षक के तहत उल्लेख किया गया है कि "श्रीमती राजबाला वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1983 बैच के अधिकारी जिन्होनें 35 वर्षो की सेवा के बाद 28 फरवरी 2018 को सेवानिवृत हुई को एक कुशल एवं दक्ष प्रशासक के रुप में तथा मुख्य सचिव के पद पर सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिये मंत्रिपरिषद ने आभार प्रकट किया तथा उन्हें भविष्य के लिये शुभकामनायें दी."

जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सेवानिवृत मुख्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त करने का इस तरह का औपचारिक निर्णय उस दिन की मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं हुआ. नवनियुक्त मुख्य सचिव ने अपने स्तर से जो कुछ बैठक के अंत में कहा उसका आशय वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि इस प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित है. फिर किस आधार पर और किसके निर्देश से "मुख्यमंत्री सचिवालय से संबद्ध पीआरडी टीम" ने सेवानिवृत हो चुकी मुख्य सचिव को इनके 35 वर्षों के कार्यकाल के लिये महिमामंडित करने वाला इस आशय की भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई? क्या यह इस टीम की अनाधिकार चेष्टा नहीं है? क्या ऐसे भ्रामक, अमर्यादित, अवांछित एवं अशोभनीय कृत्य के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित कर उसके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिये?

इस प्रेस विज्ञप्ति में सेवानिवृत मुख्य सचिव के महिमामंडन के लिये मंत्रिपरिषद की ओर से विगत 35 वर्ष की सेवा में (केवल मुख्य सचिव के कार्यकाल की अवधि में नहीं) उनके लिये

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

"कुशल, दक्ष, सराहनीय, उत्कृष्ट, निष्ठापूर्वक आदि जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रचार टीम ने किया है उनके अर्थ और भाव से तथा इस प्रसंग में मंत्रिपरिषद की गरिमा से इस प्रचार टीम संभवतः अवगत नहीं है. एक विवादास्पद अधिकारी के प्रति अपने उपकृत मनोभाव को प्रदर्शित करने के लिये इस टीम द्वारा मंत्रिपरिषद के मुँह से ऐसी शब्दावली अभिव्यक्त करवाना घोर आपत्तिजनक है. यह मंत्रिपरिषद की मर्यादा के प्रतिकुल है. इसके लिये टीम के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये. भविष्य में मंत्रिपरिषद बैठकों की कार्यवाही के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते समय पर्याप्त सावधानी बरतने की चेतावनी भी इस अथवा ऐसी किसी प्रचार टीम को दी जानी चाहिये. इनके 35 वर्षों के सेवाकाल में गुण–दोष का मूल्यांकन दिये बिना इसकी सराहना करने और इसके प्रति आभार व्यक्त करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, वह भी मंत्रिपरिषद की ओर से, घोर आपत्तिजनक है, अवांछित है. ऐसा करने वालों को शायद मंत्रिपरिषद की गरिमा का ख्याल नहीं है.

जिस अधिकारी का सेवा कार्यकाल अप्रत्याशित रूप से विवादास्पद रहा है, जिसके प्रशासनिक आचरण में संवेदनशीलता का अभाव रहा है, जिसके विरूद्ध नियम–कानून की दंडनीय अवहेलना जानबूझकर करने का पुष्ट प्रगाण है, एकीकृत बिहार के समय भ्रष्ट एवं घोटाला के आरोपी शीर्ष पदधारी राजनीतिज्ञों के प्रति जिसका समर्पण भाव जगजाहिर है, जिसने पशुपालन घोटाला के विरूद्ध आंदोलनरत भाजपा कार्यकर्ताओं को उस समय प्रताडित किया है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद पशुपालन घोटाला के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में बाधा डाला है जिसके कारण सीबीआई को सेना से मदद की गुहार करनी पडी, घोटाला के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल भेज दिया गया तो जिसने संवैधानिक एवं प्रशासनिक मर्यादा की अवहेलना कर अभियुक्त की सहानुभूति में बेउर जेल गेट पर करूण कंदन किया, चुनाव आयोग ने गया में जिलाधिकारी के रूप में जिसके आचरण के विरूद्ध सख्त टिप्पणी की है एवं जिसे भविष्य में चुनाव कार्य में भाग लेने से मना किया है, मुख्य सचिव रहते जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश के उलट प्रशासनिक निर्देश जारी किया है जिस कारण हजारों लाभुकों का राशन कार्ड रद्द हो गया कल्याण मंत्री की अवहेलना कर जिसने संचिका पर मनमाना आदेश दिया है जिसका जिक्र गत सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष होने पर मंत्री ने यह आदेश रद्द किया, पथों के चौड़ीकरण (विशेषकर गुआ–सलाई–पथ का चौडीकरण) के लिये जिसने फर्जी सर्वेक्षण पर मुहर लगाया है और संबंधित नियम–कानून की अनदेखी किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने जिसके विरूद्ध 'इरादों में इमानदार नहीं होने' की टिप्पणी की है और कहा है कि संवेदक भी इस बेईमानी का हिस्सा है, जिसके कार्यकाल में कार्य विभागों के ठेकों को मैनेज करने के दंडित किये जाने योग्य आरोपी अभियंताओं–अफसरों को प्रश्रय मिला है एवं लोकनिधि का अपव्यय करनेवाली माफियानुमा कार्यसंस्कृति को बढावा मिला है, उपर से लेकर नीचे तक का प्रशासनिक ढाँचा चरमरा गया है, पुलिस और प्रशासन का शीर्ष स्तर खेमेबाजी का शिकार हो गया है, प्रशासन का

Scanned with OKEN Scanner

डिलीवरी सिस्टम पंगु हो गया है, विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के प्रतिवेदन (2013–14) में जिसपर गंभीर प्रतिकुल टिप्पणी दर्ज है, वैसे अधिकारी की सेवानिवृति पर उसके प्रति उपर्युक्त शब्दों में मंत्रिपरिषद द्वारा उसके संपूर्ण कार्यकाल के लिये सराहना करने एवं आभार प्रदर्शित करने का समाचार प्रकाशित होने से जनमानस में मंत्रिपरिषद की छवि धूमिल हुई है. ऐसा करनेवाले और उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वाले निश्चित रूप से दंड के भागी हैं. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इनके विरूद्ध मुख्यमंत्री को सौंपे गये सप्रमाण ज्ञापनों पर अभी तक कार्रवाई लंबित है.

अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को तोड–मरोडकर पेश करने वाली इस मनगढ़ंत प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कारवाई की जाय तथा इस विज्ञप्ति के उपर्युक्त भ्रामक अंश को मंत्रिपरिषद की उस दिन की कार्यवाही से बाहर किया जाय और इस पर मेरी असहमति अंकित की जाय.

सादर,

भवदीय

11.3.2015

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

Scanned with OKEN Scanner